स्नातक प्रथम खण्ड(Sub)

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

अधिकार का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार (Meaning, Definition & Kinds of Rights)

अधिकार मानव के अस्तित्व के लिए तथा सामाजिक जीवन के लिए परमावश्यक है। अधिकारों के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अधिकार संबंधी किसी भी विचारधारा में तीन बातें देखने को मिलता है –

1. अधिकार और कर्त्तव्य आपस में नजदीक से जुड़े हुए हैं।
2. हर अधिकार को समाज द्वारा मान्यता दिये जाने की व्यवस्था होती है अर्थात् अधिकार शून्य में नहीं होते हैं।
3. अधिकार स्वार्थपूर्ण द्वारा न होकर निःस्वार्थ अभिलाषा है। इसे सार्वजनिक रूप से लागू किया जा सकता है।

लास्की ने भी कहा है कि, "राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि उसको मान्यता देता है तथा किसी समय राज्य के स्वरूप को उसके द्वारा अधिकारों की मान्यता के आधार पर जाना जा सकता है।"

अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा – अधिकार संबंधी उपर्युक्त विवेचन के बाद चार तथ्य प्रकट होते हैं –

(i) अधिकार समाज की सृष्टि है।

(ii) समाज के बाहर अधिकारों की सृष्टि नहीं होती है।

(iii) अधिकार का आधार सार्वजनिक कल्याण है।

(iv) अधिकार का महत्व उसके उपयोग में है।

अधिकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग–अलग रूपों में दी गई है, जो इस प्रकार है :–

लास्की के अनुसार – "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियॉ हैं जिसके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता।"

हालैंड के अनुसार – "अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यो को समाज के मत और शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है।"

ग्रीन के अनुसार – "अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मॉग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है।"

बेनी प्रसाद के अनुसार – "अधिकार केवल वे सामाजिक परिस्थितियॉ हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनुकूल है।"

हेनरिशी के अनुसार – "मानव व्यक्तित्व के अस्तित्व और पूर्णता के लिए जो कुछ आवश्यक हो, वही अधिकार है।"

अधिकारों के प्रकार (Kinds of Rights)

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार आवश्यक है। अधिकार भी कई प्रकार के हैं :–

1. **प्राकृतिक अधिकार** – **हाब्स** के अनुसार, "प्राकृतिक अधिकार मनुष्य की वह शक्ति है, जिसकी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह प्रयोग कर सकता है। वह अधिकार और शक्ति दोनों को एक ही मानता है।"
   लॉक के अनुसार, "प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं, जिनसे मनुष्य पृथक नहीं हो सकता।"
   सामान्यतः प्राकृतिक अधिकारों से अभिप्राय यह है कि कुछ अधिकार मनुष्य को स्वभाव से ही प्राप्त है। राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित कर सके।
2. **मौलिक अधिकार** – मौलिक अधिकार से अभिप्राय उन अधिकारों से है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। इसके बिना सभ्य, उन्नतशील एवं श्रेष्ठ जीवन कदापि संभव नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से देशों ने अपने संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की परिगणना कर दी है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में भारतीय नागरिकों के 6 तरह के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अतः मूल अधिकार बहुत ही पवित्र अधिकार है और उसके पीछे

कानून की शक्ति रहती है। यदि सरकार इन अधिकारों का अतिक्रमण करे, तो न्यायालय इनकी रक्षा करती है।

3. **नैतिक अधिकार** – नैतिक अधिकार वे होते हैं जो समाज की नैतिक धारणा पर आधारित होते हैं। रीति–रिवाज, परम्परा आदि भी इनके अधिकार हैं। ये जीवन की उस दशा या सामाजिक जीवन में प्रयुक्त होनेवाले उन नियमों, परिपाटियों एवं रूढ़ियों को कहते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं और सामाजिक जीवन की श्रृखंला को ठीक रखने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इन अधिकारों का पालन राज्य की शक्ति पर आश्रित नहीं अपितु मनुष्य की नैतिक भावना या समाज के नैतिक जागरण पर आश्रित रहता है। इनमें शिष्ट व्यवहार, नैतिकता तथा चारित्रिक नियम, आदर का अधिकार, वृद्व माता–पिता पर पुत्र द्वारा उनके लालन पालन का अधिकार इत्यादि।
4. **वैधानिक अधिकार** – वैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा मान लिये जाते हैं जिसकी रक्षा राज्य कानूनों द्वारा करता है। अर्थात् समाजकृत अधिकारों को जब तक राज्य मान्यता प्रदान नहीं करता, तब तक वे वैधानिक अधिकार नहीं हो सकते। इसके दो वर्ग होते हैं – नागरिक या सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार।
5. **नागरिक या सामाजिक अधिकार** – नागरिक अधिकार वे अधिकार हैं, जो राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों, नागरिकों और विदेशियों को प्रदान किये जाते हैं ताकि वे अपने जीवन, सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत विशेषता की रक्षा कर सके।
6. **जीवन का अधिकार** – जीवन का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मौलिक है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का हक है। कोई व्यक्ति को न अपने जीवन का और न ही अन्य व्यक्ति के जीवन का अन्त करने का अधिकार है।
7. **समानता का अधिकार** – प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्मस्थान आदि के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक को अवसर और प्रतिष्ठा की भी समानता तथा कानून के समक्ष समानता का अधिकार होगा।
8. **स्वतंत्रता का अधिकार** – व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता या नियंत्रणहीनता नहीं है। बल्कि लॉस्की के शब्दों में, " इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके।" इसके मुख्य भेद हैं –
   (i) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   (ii) भ्रमण या घूमने की स्वतंत्रता
   (iii) संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता
   (iv) किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता
   (v) व्यक्तिगत स्वतंत्रता

(vi) अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने की स्वतंत्रता आदि।

9. **आर्थिक अधिकार** – इस अधिकार द्वारा व्यक्ति अपने द्वारा कमाये धन को इच्छानुसार खर्च कर सकता है एवं उसके प्राप्ति का उपाय कर सकता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं से मर्यादित होता है। रोजगार या आजीवका अपने परिवार के भरण पोषण का अधिकार होना चाहिए।
10. **शिक्षा का अधिकार** – प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक विकास का अवसर पाने का अधिकार है।
11. **राजनीतिक अधिकार** – **बेनी प्रसाद** के शब्दों में – "राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य उन व्यवस्थाओं से है, जिनमें नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है।" इस श्रेणी में कई अधिकार आते हैं जैसे – मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार तथा शिकायत, विरोध या आवेदन देने का अधिकार।